न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 40/2021

जी.सी.एम.एस. : 2021/163

अपीलान्ट–

1. सीतादेवी उर्फ सायरीदेवी पुत्री स्व. रूपनाथ पत्नी किशननाथ जाति नाथ निवासी गावं सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी अनासागर किशनगंज रेमबूल रोड़, अजमेर।
2. सुखीदेवी पुत्री स्व. रूपनाथ पत्नी मोहननाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी मोड़ भट्टा सोजत सिटी, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1. भंवरनाथ पुत्र स्व. रूपनाथ, जाति नाथ निवासी ग्राम सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
2. पारसनाथ पुत्र स्व. रूपानाथ, जाति नाथ निवासी ग्राम सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी ईदगाह रोड़ वैशाली नगर के पास पट्टी की टाल अजमेर।
3. जेठूनाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली। 1 ए–2 पुलिस कॉलोनी, पुलिस थाना नेताजी सुभाष पैलेस, नई दिल्ली।
4. सोहननाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी रावला बेरा मगरा पूँजला माता का थान, जोधपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)
6. जितेन्द्र कुमारी पत्नी श्यामसिंह राजपूत निवासी सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
7. सुशीला पत्नी वेनाराम परिहार घांची निवासी पडासला खुर्द तहसील पाली जिला पाली।
8. शांति पत्नी हेमाराम परिहार जाति

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

घांची निवासी पडासला खुर्द तहसील पाली जिला पाली।

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 3, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा, तरूण उपाध्याय।
3. रेस्पोडण्ट संख्या 5 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना।
4. रेस्पोडेण्ट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र शर्मा।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 10\12\2025

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसील खारची द्वारा ग्राम सिरियारी के के नामान्तरकरण संख्या 229 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 31.05.1981 के विरूद्ध पेश की है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 40/2014 में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2015 के द्वारा उक्त अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया था तथा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या 256/2018, 286/2018 एवं 287/2018 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2021 की पालना में पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2, 7, 8 वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 व अन्य खातेदारों की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि कुल खसरा 25 कुल रकबा 136 बीघा 16 बिस्वा आई हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि पूर्व में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के पिता रूपनाथ के नाम दर्ज थी। रूपनाथ के छः पुत्र तथा दो पुत्रियॉ थी। इस प्रकार प्रत्येक का जैर आराजी में 1/9 हिस्सा बनता था। रूपनाथजी के फौत होने पर उपरोक्त कृषि भूमि का अपीलाधीन नामान्तरकरण केवलमात्र रूपनाथ की पुत्रगण रेस्पोडण्ट संख्या 1 से 4 एवं अन्य दो पुत्र जो अविवाहित फौत हो चुके है, के पक्ष में ही भरा गया जबकि अपीलाण्ट् स्व. रूपनाथ की पुत्रिया व उनकी पत्नी टीपूदेवी जो कि प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के उपरान्त भी उनके पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया। वर्तमान में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के भाई मीठूनाथ, मदननाथ व माता टीपूदेवी फौत हो जाने से शेष वारिसानों का जैर आराजी में 1/6 हक हिस्सा बनता है। अपीलाण्ट, रूपनाथ की पुत्रियॉ है यह उभयपक्ष का स्वीकृत तथ्य है। अधीनस्थ न्यायालय लैण्ड रेकर्ड रूल्स 119 से 121 की पालना नहीं की और न ही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट को कोई नोटिस जारी किया गया। प्रभावित पक्षकारों को नोटिस दिये बिना पारित नामान्तरकरण शुरू से ही अमान्य है और इस प्रकार के प्रकरणों में म्याद भी लागू नहीं होती है। रेस्पोडण्ट द्वारा मेरे हिस्से का किया गया बेचाण भी अमान्य है। नामान्तरकरण कोई भी टाईटल नहीं बनाता और न ही उसके राईट निर्धारित करते है। हस्तगत प्रकरण में मई 1981 में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया और दिसम्बर 1981 में बेचाण किया गया। परिवार में कर्त्ता भूमि कब बेचाण कर सकता है, इसका उल्लेख नहीं किया है तथा कर्त्ता सद्भाविक एवं युक्तियुक्त आवश्यकता के लिए ही भूमि का बेचाण कर सकता है, इस सम्बन्ध में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट के कोई कथन नहीं है। प्रकरण में माता जीवित है तो कर्त्ता खानदान माता होनी चाहिये न की उनका पुत्र। इसके अतिरिक्त भवरनाथ कर्त्ताखानदान है इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। प्रकरण में शम्भू के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है इसलिये उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलण्ट को उसके पिता से प्राप्त खातेदारी अधिकार केवल मात्र नामान्तरकरण से समाप्त नहीं किये जा सकते। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 108 RBJ (9) 2002, 111 RRD Mar. 2002, 669 RRD Nov. 2002, 45 RRD 1989 850 RRT 2012(2), 79 RRD 1996, 2020(3) DNJ (SC) 817, 2008DNJ (SC) 852, 2019 DNJ (SC) 131, 2017(2) RRT 745, 2017(2) RRT 747, 2013(2) RRT 1284, 2011(1) RRT 432, 2007(1) RRT 42, RRD Dec. 2006 Page 837, 46 DNJ (SC) 1993 पेश कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 3, 4 ने दौराने बहस केवल मात्र यही कथन किया कि अपीलाण्ट्स, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 की सगी बहन है इसे नकारा नहीं जा सकता और अपीलाधीन आदेश केवल मात्र स्व. रूपनाथ के पुत्रों के पक्ष में भरा गया था।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाण्ट ने पूर्व में वर्तमान जमाबन्दी पेश नहीं की और न ही खरीददार को प्रकरण में पक्षकार बनाया। न्यायालय को पर्दे में रखकर पूर्व में निर्णय पारित करवा दिया। अपीलाधीन नामान्तरकरण वर्ष 1981 में स्वीकृत किया गया और जैर अपील लगभग 45 वर्ष बाद पेश की गई है और देरीना का भी कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया जबकि अपीलाण्ट को उक्त आदेश की जानकारी शुरू से ही थी। विधिनुसार बाद जानकारी अपील की म्याद केवल 30 दिवस की होती है। प्रकरण में नायब तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाया और जैर आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है। अपीलाण्ट ने वर्तमान जमाबन्दी के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया अर्थात् वो न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से पेश नहीं आये है। जैर आराजी शम्भूनाथ व रूपनाथ की सामलाती थी और जैर अपील में शम्भूनाथ के उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया। मेरा नाम वर्ष 1985 के बेचाण के आधार पर दर्ज किया गया। मुझे भूमि भंवरनाथ जो कि कर्त्ताखानदान था, ने बेची है और मैं सद्भावी क्रेता हूं और रजिस्टर्ड दस्तावेजों को कोई भी संस्था निरस्त नहीं कर सकती। यदि किसी भूमि में पुत्रियों का नाम है तो भी उसे कर्त्ताखानदान बेचा सकता है। अपीलाण्ट को यदि कोई उजर ऐतराज है तो उन्हें

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बेचाणनामें को चुनौती देनी चाहिये थी न कि अपीलधीन आदेश को। वर्तमान में रेस्पोडेण्ट के जैर आराजी में खातेदारी अधिकार सृजित हो चुके है जिसे केवल नामान्तरकरण से खत्म नहीं किए जा सकते है। जैर आराजी के अन्य दावे भी विचाराधीन है। यदि जमीन का बेचाण नहीं हुआ होता तो अधिवक्ता अपीलाण्ट के न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर चस्पा होते परन्तु हस्तगत प्रकरण में जमीन बेची जा चुकी है और रजिस्टर्ड दस्तावेज में कब्जा भी दिया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलाण्ट के न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण तथ्यों पर चस्पा नहीं होते है। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2012(2) DNJ (Raj.) 781, 2012(2) DNJ (Raj.) 1082, 2012(2) DNJ (Raj.) 1083 2025(1) RRT 169, 253 RRD 1986, 2016 DNJ (SC) 1, 2019 DNJ (SC) 131, 2017(1) RRT 139, 2015(1) RRT 369, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर अपील डिक्री/टी.ए. /2121/2004/भरतपुर पेश कर अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर अपील को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील नायब तहसील खारची द्वारा ग्राम सिरियारी के नामान्तरकरण संख्या 229 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 31.05.1981 के विरूद्ध पेश की है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने म्याद प्रार्थना–पत्र में अंकित किया कि अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी उन्हें दिनांक 03.12.2014 को हुई तथा समस्त प्रतिलिपि प्रापत कर नियम समय में अपील पेश की गई तथा अपीलाण्ट्स, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 की सगी बहन है, इसलिये म्याद का बिन्दु गौण हैं। अपने कथनों की ताईद में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRD, Mar., 2002 Page 111 Shanker vs Mogji के अनुसार Rajasthan Land Revenue Act, Section 135-Revision against order of Addl. Divisional Commissioner-Held, Gram Panchayat attested the mutation without hearing the petitioner-Appwal filed after 16 years on the ground of knowledge when Steelement work started on 9.3.92-Applied of copy of mutation order on same day-Copy recieved on 18.4.92-Appeal filed within limitation-Delay condoned and order Addl. Divisional Commissioner set aside-Case remanded to Gram Panchayat with directions. साथ ही राजस्व मण्डल द्वारा 1989 आर.आर.डी. पेज 45 लामराम बनाम राज्य के विनिश्चय में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहा आदेश वायड ऐबनिश्यों हो, वहा उसके किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है तथा 1994 आर.आर.डी. पेज 606 के विनिश्चय में भी जहा प्रभावित पक्षकार को बगैर नोटिस दिये कोई आदेश पारित किया गया, उसके ऐबनिश्यो वायड मानते हुए धारा 3 म्याद अधिनियम के अधीन बाधित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

होना नहीं माना है। 1994 आर.आर.डी. पेज 215 वाले विनिश्चय में भी प्रभावित पक्षकार को बगैर सुने आदेश पारित किये जाने को अवैध मानते हुए उसे किसी भी समय निरस्त किया जाना अभिनिर्धारित किया है। इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त RRD, Nov., 2002 Page 669 Shyam Sunder & ors. vs Kanti Bai & ors. के अनुसार Rajasthan Land Revenue Act, Section 135-Revision against order of Addl. Divisional Commissioner-Held, entire disptued land is related to mutation no. 166 which was attested in the name of 3 brothers of khatedar R leaving his daughter K- Disputed land belonging ot the deceased khatedar was sold by the brothers-Mutation was attedsted in absence of D therefore, question of limitation does not arise. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त RRD 1989 page 45 Lamuram vs State of Raj. के अनुसार Rajasthan Land Revenue Act, Section 75- Order which is void ab inition can be challenged at any time-Appeal filed after more than 18 years but immediately after knowledge, is not barred. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ने अपीलाण्ट अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर अपील लगभग 45 वर्ष बाद पेश की गई है और देरीना का भी कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया जबकि अपीलाण्ट को उक्त आदेश की जानकारी शुरू से ही थी अतः जैर अपील बेरून म्याद है। अपने कथनों की ताईद में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2012(2) DNJ (Raj.) 781 State of Rajasthan & Ors. vs Pooran Chandra Jain के अनुसार परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5–अपील पेश करने में 139 दिनों का विलम्ब–शपथ पत्र में मिथ्या प्रकथन किये–सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नहीं किया–विलम्ब शमन हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किया–याचिका अपीलाण्ट्स द्वारा वसूली से सम्बन्धित है–निर्णीत, अपील मियाद के आधार पर और गुणावगुण पर भी खारिज योग्य है। इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2012(2) DNJ (Raj.) 1082 Ghisa Ram & Ors. vs Board of Revenue & ors. में यह स्पष्ट किया कि परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5–राजस्व मण्डल ने अपनी पेश करने में विलम्ब शमन करने का आदेश अपास्त किया–रिव्यू याचिका खारिज की–अपील पेश करने में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब–दिया गया कारण नितान्त मिथ्या और रिकार्ड के प्रतिकूल था–निर्मित आधारों पर विलम्ब शमन चाहा–निर्णीत, राजस्व मण्डल के आदेश में अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत हस्तक्षेप न्यायसंगत नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त 2025(1) RRT 169 Naveen Parihar & Ors. vs Smt. Ganga & Ors. के अनुसार Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Section 135-Mutation Sanctioned in name of non-petitinoer No. 2 Teeja w/o Lakha on 25.5.1989-Teeja sold the land to the petitioners and some part sold to the petitioner no. 3 to 6-Non petitioner no. 1 filed the appeal against the mutation without impleading the petitioners in appeal-appeal allowed and the Divisional Commissioner dismissed the appeal-Appeal; filed after 20 years of the mutation-Deputy Sarpanch issued a succession coertificate in name of the non petitioner no. 1 as daughter of deceased lakha-Only photocopy was produced on the recored-Khatedari rights cannot be set aside by mutation-Non petitioner was required to file the suit for declaration of her rights in the property Held, orders are set adise. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015(1) RRT 369 में यह स्पष्ट किया कि राजस्थान

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

भू राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 135 व 75–वर्ष 1974 में नामान्तरकरण तस्दीक किया–अपील पेश करने में 14 वर्ष का विलम्ब–परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब शमन हेतु प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया–गुणावगुण पर मामला निर्णीत करने के पूर्व विलम्ब शमन करना आज्ञापक है–विलम्ब पर विचार किये बिना गुणागुण पर अपील ग्रहण योग्य नहीं थी–प्रार्थना पत्र की अनुपस्थिति में विलम्ब शमन नहीं किया जा सकता–निर्णीत, अपील पोषणीय नहीं थी और आलोच्य आदेश अपास्त किया।

हमारे द्वारा मियाद पर उभयपक्षों के कथनोपकथन का श्रवण व मनन किया तथा न्यायिक नजीरों का परिशीलन किया गया तथा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार किसी भी निर्वसीयती हिन्दु के मरणोपरान्त उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में उसकी पुत्र के अलावा उसकी पुत्रीयां भी शामिल होती हैं। इस प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 का उल्लंघन होकर पुत्रियों को विरासत से वंचित किया गया है तथा यह नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है क्योंकि इसमें विधि का उल्लंघन हुआ हैं तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि कोई आदेश विधि विरूद्ध हुआ हो तो उस आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है तथा इस प्रकरण में जैर नामान्तरकरण आदेश अविधिक है। न्यायालय की दृष्टि से न्याय "Justice oriented approach" का होना चाहिये तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने कई बार कहा हैं कि मामूली देरी न्याय से वंचित करने का आधार नहीं बननी चाहिए एवं यदि मामला वास्तविक हो, तो कोर्ट देरी माफ कर देता हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट Class-I heir है जिससे हिन्दू उत्तराधिकार कानून के तहत अपीलाण्ट की स्थिति मजबूत होती है और अपीलाण्ट का अधिकार, केवल देर से अपील करने के कारण समाप्त नहीं हो सकता। प्राकृकित न्याय के सिद्धान्त के तहत बहन का नामान्तरकरण से वंचित रहना अन्याय होगा और विशेष परिस्थितियों में भी न्यायालय न्यायासंगत आधार पर देरी को स्वीकार कर सकती हैं। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2024(2)RRT 1240 Govind vs Mahendra Kumar Sharma के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 135 एवं 84–अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने नामान्तरकरण के विरूद्ध लगभग 50 वर्ष के बाद अपील पेश की–अपीलीय न्यायालय ने विलम्ब माफ किया–पैतृक भूमि–सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार–अपील को केवल विलम्ब के आधार पर खारिज करना न्यायोचित नहीं है–निर्णीत, आदेश में अवैधता नहीं हैं। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त Collector, Land Acquisition vs Mst. Katiji & Others (1987 Air 1353) के अनुसार देरी को लेकर न्यायालय को उदारतापूर्वक (liberally) विचार करना चाहिए, जब तक यह स्पष्ट न हो कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर या लापरवाही से देरी की, तब तक देरी को माफ किया जा सकता हैं। यह माना गया कि: "विवादी विलम्ब से अपील दायर कर कोई लाभ नहीं प्राप्त करता हैं, केवल तकनीकी आधार पर योग्य वाद को प्रारम्भ में ही खारिज करना न्यायसंगत नहीं है" अर्थात् उच्चतम न्यायालय ने न्यायोन्तुख दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी, कि Delay Condonation का जिक्र करते समय Substantial Justice को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी प्रकार माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त Chandrabhaga Ladkya Choudhary vs Gajanan Arjun Gondhale

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

(Maharashtra, 2024) में लगभग 52 साल की देरी थी, जिसमें SDM एवं Collector की ओर से अपील खारिज की गई, लेकिन Additional Commissioner ने न सिर्फ delay condone किया, बल्कि कहा कि "अगर मामला मेरिट में मजबूत हो, तो delay अस्वीकार्य नहीं होना चाहिए" और प्रकरण को पुर्नश्रमण के लिए वापस भेजा गया अर्थात् अपीलाण्ट के देरी के कारण उचित न हो, लेकिन मामला मजबूत हो और मूलधारात्मक रूप से वैध हो और प्रथमश्रेणी के अधिकार न्यायसंगत हो, तो न्यायालय देरी को Condone कर सकता है। यहां माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स ईस्टर्न मशीन ब्रिक्स एंड टाईल्स इंडस्ट्रीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "ऑडी अल्टरम पार्टम, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का एक हिस्सा है, उसकी जड़ें मुख्य रूप से समानता के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत विचार में पाई जाती हैं। यह सिद्धान्त सुनिश्चित करता है कि किसी को भी निष्पक्ष और उचित सुनवाई के बिना निंदा, दंडित या उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह मनमाने ढंग से निर्णय लेने के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, उचित प्रक्रिया के सिद्धान्त को कायम रखता है, जबकि न्यायसंगत और न्यायसंगत कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।" प्रकरण में अपीलाण्ट का रूपनाथ की पुत्री होने के तथ्य व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। जब नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। तदनुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 6 का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि मुझे जैर आराजी भंवरनाथ जो कि कर्त्ता खानदान है, उन्होनें बेची और मै सद्भावी क्रेता हूँ। मैने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के उक्त आराजी क्रय की और पंजीबद्ध दस्तावेजों का निरस्त नहीं किया जा सकता तथा राजस्व मण्डल अजमेर अपील डिक्री/टीए/2121 /2004 विमला बनाम दौलतराम तथा द्वितीय अपील 2122 विमला बनाम दौलतराम पेश कर कथन किया कि टीपीएक्ट की धारा 41 के अनुसार विक्रय का अधिकार नहीं होने पर वोईड नहीं होता है वोईडेबल माना जा सकता हैं। इस सम्बन्ध में अपने कथनों की ताईद में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2016 DNJ (SC) 1 Shreya Vidyarthi vs Ashok Vidyarthi & Ors. के अनुसार A Hindu Widow is not a coparcener in the HUF of her husband and, therefore, cannot act as Karta of the HUF after the death of her husband. इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2017(1) RRT 139 Satya Pal Anand vs State of M.P. & Ors. में यह स्पष्ट किया कि Once the decoument is registered, no any authority under the Act of 1908 is empowered to cancel the rigistraration. अधिवक्ता अपीलाण्ट ने विपक्षी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि वक्त नामान्तरकरण स्व. रूपनाथ की पत्नी टीपूदेवी जीवित

अति. जिला कलक्टर, पाली

थी और वह कर्त्ताखानदान है, इसके अतिरिक्त कर्त्ता केवल युक्तियुक्त कारणों के आधार पर ही भूमि का बेचाण कर सकते है, वह कारण क्या रहे स्पष्ट नहीं है। उपलब्ध अभिलेखों, विशेषतः दिनांक 01.09.1981 के पंजीबद्ध बेचाननामा तथा पक्षकारों के कथनों पर विचार करने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि रूपनाथ के पुत्रों में भंवरनाथ उस समय परिवार का सबसे बड़ा व्यस्क पुरूष सदस्य था, जिसकी आयु 40 वर्ष बेचाणनामा में अंकित है, अतः संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्त्ता होना स्वाभावित है। कर्त्ता को परिवार की नित्य आवश्यकताएँ, पारिवारिक आवश्यकता, अपरिहार्य परिस्थितियाँ अथवा किसी लाभकारी उद्देश्य हेतु सम्पति बेचने का अधिकार होता है। बेचाननामें से यह भी सिद्ध होता है कि खसरा संख्या 798, 799, 800, 801 की भूमि का विक्रय किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाकर सभी भाईयों की आपसी सहमति से किया गया, जो स्वयं विक्रय की वैद्यता और औचित्य की पुष्टि करता है। संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के बेचाण में सभी सहधारकों की सहमति एक महत्वपूर्ण कारक है और उक्त बेचाणनामे अनुसार सभी भाई हस्ताक्षरकर्त्ता सहमत थे, जो यह स्वयं प्रमाण है कि विक्रय पारिवारिक स्तर पर विचार कर किया गया। यद्यपि विक्रय की तत्समय आवश्यकता अथवा पारिवारिक लाभ से सम्बन्धित पृथक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तथापि सम्पूण सहमति का तथ्य यह दर्शाता है कि विक्रय सामूहिक निर्णय था और कर्त्ता द्वारा किया गया लेन–देन परिवार की स्वीकृति से सम्पन्न हुआ। स्व. रूपनाथ की पत्नी टीपू देवी के जीवित होने से कर्त्ता पद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि परिवार में भंवरनाथ सहित अन्य व्यस्क पुरूष सदस्य विद्यमान थे। चूंकि सम्पत्ति का विक्रय विधिवत पंजीबद्ध दस्तावेज के माध्यम से हुआ और उक्त पंजीबद्ध दस्तावेजों को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है अर्थात् वे वर्तमान में अस्तित्व में है और रेस्पोडेण्ट सद्भावित क्रेता होने से उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का उक्त कथन स्वीकार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का अन्य उज्र यह था कि प्रकरण में उन्हें एवं शम्भूनाथ के वारिसानों एवं नायब तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही अपीलाण्ट ने वर्तमान जमाबन्दी पेश की। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि मूल अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से 8 को पक्षकार नहीं बनाया गया था और न्यायालय हाजा द्वारा मूल अपील में निर्णय पारित किया गया था परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से 8 के द्वारा न्यायालय में रिव्यू याचिका पेश करने पर उन्हे प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु लिया गया और वे वर्तमान में पक्षकार संयोजित है और प्रकरण में केवल स्व. रूपनाथ के वारिसानों के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण की हद तक ही अनुतोष चाहा है इसलिये उन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया। हस्तगत प्रकरण में पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.04.2015 को निर्णय पारित कर अपील संख्या 40/2014 स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई थी, उसके पश्चात् पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या 256/2018, 286/2018, 287/2018 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2021 के द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किया गया और उसमें पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्त्ता को बतौर रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से 8 पक्षकार संयोजित किया गया और उनकी

आर. जिला कलक्टर, पाली

तरफ से वक्त बहस उपस्थित अधिवक्ता को सुना गया। प्रश्नगत अपील में अपीलाण्ट का मुख्य अनुतोष नामान्तरकरण संख्या 229 दिनांक 31.05.1981 को निरस्त कर अपीलाण्ट का हक हिस्से अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के सम्बन्ध में है। यदि न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में कोई भी आदेश पारित किया जाता है तो उक्त नामान्तरकरण में दर्ज समस्त खातेदारों के अधिकार प्रभावित होगे और उक्त नामान्तरकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के अतिरिक्त शम्भु वल्द सुराजी राईका भी खातेदार है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा जैर नामान्तरकरण में वर्णित विवादित आराजियात से सम्बन्धित ऑनलाईन जमाबन्दी का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि लगभग समस्त खसरों में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 से भिन्न खातेदारों का नाम दर्ज है और विचाराधीन प्रकरण में उन्हें या उसके वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया है अर्थात् अपीलाण्ट ने जिस पक्षकारों के विरूद्ध अनुतोष चाहा था वो जैर नामान्तरकरण में वर्णित आराजी में खातेदार ही नहीं है और जो वर्तमान जमाबन्दी अनुसार जैर आराजी में खातेदार है उन्हें प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के सम्बन्ध अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कोई कथन नहीं किये है, इससे यह प्रकट आता है कि अपीलाण्ट वर्तमान तथ्यों को छुपाते हुये अनुचित तरीकों के आधार पर प्रकरण में अनुतोष प्राप्त करना चाहते है। इस सम्बन्ध में हम यह स्पष्ट करना चाहते है कि न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता और प्रकरण में अपीलाण्ट न्यायालय के समक्ष सद्भाविक एवं साफ हाथों से नहीं आये है। न्यायालय में सत्य का महत्व सबसे ऊपर होता है। अगर कोई पक्षकार या उसका अधिवक्ता जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करता है, तो यह न्यायालय को गुमराह करना माना जाता है। ऐसा करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग (abuse of process of law) माना जाता है। न्यायालयों ने कई बार यह निर्णय दिया है कि यदि कोई याचिका या अपील झूठ पर आधारित हो, तो उसे खारिज किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों मे यह कहा है कि "He who comes to the court must come with clean hands." जब कोई पक्ष न्यायालय से उचित न्याय चाहता है तो उसका परम कर्त्तव्य है कि वह "clean hands." सिद्धान्त के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आये। यदि पक्षकार ने अपने पक्ष में राहत हेतु जरूरी तथ्यों को जान–बूझकर छपाया है, तो वह equity और discretionary jurisdiction का दावा खो देता है। ऐसी याचिका बिना अच्छे कारण पर विचार किए ही खारिज की जा सकती है। माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त S.J.S. Business Enterprises vs. State of Bihar (2004)/Arunima Baruah vs. Union of India (2007) के अनुसार जहां सच्चाई छिपाई गई है और वह तथ्य मामले के निर्णय को प्रभावित कर सकता है, तो न्यायालय discretionary relief देने में सक्षम नहीं होता क्योंकि पक्षकार स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं आये है। अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मूल प्रकरण 40/2014 में अपीलाण्ट ने केवल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 को पक्षकार बनाया और विभिन्न पूनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में पारित निर्णयों की पालना में रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से 8 को पक्षकार बनाया गया। इसके उपरान्त अपीलाण्ट ने विवादित आराजी के वर्तमान खातेदारों का न तो उल्लेख किया और न ही उन्हें पक्षकार बनया, यह सीधे सीधे मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ ट्रूथ है इससे यह प्रतीत होता है

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कि अपीलाण्ट का वास्तविक उद्देश्य नामान्तरकरण सुधारना नहीं होकर न्यायालय के माध्यम से एकतरफा लाभ प्राप्त करना है। प्रकरण में अपीलाण्ट की यह कार्रवाही न केवल तथ्यहीन और अधिकारहीन है, बल्कि जानबूझकर गलत तथ्यों, अधूरे पक्षकार संयोजन और न्यायालय को भ्रमित करने की दुर्भावनापूर्ण मंशा से प्रेरित है। अतः यह सम्पूर्ण अपील दुरभिसन्धि आधारित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का अन्य उज्र दौराने बहस यह था कि नामान्तरकरण कोई टाईटल क्रियेट नहीं करता है, इसलिये अपीलाण्ट्स को उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा से कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। अपीलाण्ट् घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करके ही अनुतोष प्राप्त कर सकती है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2019 DNJ (SC) 131 Bhimabai Mahadeo Kambekar (Smt.) (D) Thro' LR vs Arthur Import & Export Co. & Ors. के अनुसार Mutation does not create or extinguish the title over the land nor it has presumptive value on the title. Mutation only enables person to pay the land revenue. इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2012(2) DNJ (Raj.) 1083 Sukhram & Ors. vs Dheer Singh & ors. के अनुसार Khatedari rights cannot be set aside by mutation. अधिवक्ता अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता के कथन का समर्थन करते हुये उज्र किया कि नामान्तरकरण कोई की राईट टाईटल निर्धारित नहीं करती है परन्तु विधिविरूद्ध भरे गये नामान्तरकरण हेतु अपीलाण्ट को घोषणात्मक वाद हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में अपने कथनों की ताईद में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2008 DNJ (SC) 852 के अनुसार Mutation entires are only fiscal entires and do not confer any title, right or interest on parties. न्यायिक दृष्टान्त 2013(2) RRT 1284 Mhadi Devi (Mst.) & Ors. vs Prahalad & Ors. के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 84–मृतक बी की पुत्रीयों के नाम भूमि नामान्तरित नहीं की–पुत्रीयों द्वारा पेश अपील खारिज की–पुत्रीया प्रथम श्रेणी की वारिसान है और मनमाने ढंग से छोड़ा नहीं जा सकता–ऐसे एक–पक्षीय आदेश में परिसीमा तात्विक नहीं है–घोषणा हेतु वाद पेश करने के लिए प्रार्थीयान को बाध्य नहीं किया जा सकता–मृतक बी के पुत्रों के आधे हिस्से की सीमा तक विक्रय प्रवर्तनीय है–निर्णीत, आदेश अपास्त किया तथा अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2011(1) RRT 432 Sajjan Kanwar (Smt.) vs Smt. Uchhab Kanwar & Ors. में यह वर्णित किया कि The daughters are entitled to succeed to the lands of the deceased khatedar upon his death along with sons in case of non-testamentary succession. हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट पुत्री प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा प्रथम श्रेणी के वारिसानों का अधिकार जन्म से माना जाता है, नामान्तरकरण से नहीं। चूंकि जैर आराजी से सम्बन्धित पंजीबद्ध विक्रय विलेख वर्ष 1981 के है और उक्त बेचाणनामें को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया गया है। नामान्तरकरण केवल राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि है, यह कभी भी स्वामित्व तय नहीं करता और अपीलाण्ट प्रथम श्रेणी की वारिस है तो उसका अधिकार जन्म से है परन्तु प्रकरण में वर्तमान परिस्थिति एवं वस्तुस्थिति अनुसार उन्हें अधिकार सिद्ध करने का तरीका केवल घोषणात्मक वाद ही है। नामान्तरकरण अपील केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड में सुधार की प्रक्रिया है, यह टाइटल, हिस्सेदारी या वारिसाना

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिकार प्रदान नहीं करती, अपीलकर्ता का वास्तविक उपाय केवल घोषणा वाद है न कि नामान्तरकरण अपील। वर्ष 1981 में भूमि का बेचाण हो रखा है और खरीदकर्त्ता के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो चुके है उसके पश्चात् केवल मात्र नामान्तरकरण अपील के जरिये वर्तमान स्थिति में वैद्य बेचाणानामों के विरूद्ध नामान्तरकरण निरस्त कर अपीलाण्ट के नाम दर्ज करना न्यायोचित नहीं लगता। पुत्रियां यदि जैर आराजी में अपनी हिस्सेदारी का दावा करती हैं, तो उन्हें घोषणात्मक वाद दायर करना चाहिए, जिससे उनके वास्तविक हक अधिकार सक्षम न्यायालय द्वारा तय किये जा सके। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त अवश्य ही सम्मान्नीय है परन्तु जैर आराजी का बेचाण लगभग 44 वर्ष पूर्व हों चुका है और उपलब्ध अभिलेखों अनुसार जैर आराजी का विभिन्न हस्तान्तरण हो चुके है और खरीदकर्त्ता के जैर आराजी में खातेदारी अधिकार निर्धारित हो चुके है। इस सम्बन्ध में मान्नीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2025(1) RRT 169 Naveen Parihar & Ors. vs Smt. Ganga & Ors. के अनुसार Rajasthan Land Revenue Act, 1956 Section 135-Mutation sanctioned in name of non-petitinoer No. 2 Teeja w/o Lakha on 25.5.1989-Teeja sold the land to the petitioners and some part sold to the petitioner No. 3 to 6-Non petitioner No. 1 filed the appeal against the mutation without impleading the peititoners in appeal-Appeal allowed and the Divisional Commissioner dismissed the appeal-Appwal filed after 20 years of the mutation-Deputy Sarpanch issued a succession certificate in name of the non-petitioner No. 1 as daughter of deceased Lakha-Only photocopy was produced on the record-Non-petitioner No. 2 was not made party showing her dead-khatedari rights cannto be set aside by mutation-Non-petitioner was required to file the suit for declaration of her rights in the property-Held, Orders are set aside. इसी प्रकार रविरा विशेष अंक 117 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा अपील डिक्री/टी.ए./2121/2004/ भरतपुर विमला बनाम दौलतराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 के अनुसार ".... संयुक्त परिवार में रहने के कारण पुत्रियां, भाईयों के द्वारा किये गये बैचान के कृत्य से बाध्य है। यदि पारिवारिक सम्पत्ति का हस्तान्तरण हो गया है और उनमें से कोई सदस्य उसे चुनौती देना चाहे तो उस हस्तान्तरण को निरस्त कराने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर करना पड़ेगा, राजस्व न्यायालय में दावा करने का उन्हें कोई हक नहीं है...."तथा ".....धारा 41, सम्पति अन्तरण अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने हकों को छोड़ते हुए दूसरे व्यक्ति के नाम सम्पत्ति इस तरह से कर दे कि तीसरा व्यक्ति उसे क्रय कर ले बाद में असल मालिक को उस हस्तान्तरण को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। जब बयनामा अभिलिखित खातेदार न कराया है, वह तब तक वैधानिक है, जब तक कि उसे सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता।...." उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील के जरिये अपीलाण्ट को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।

हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद अधिकारों को लेकर है और अधिकारों का विनिश्चय नामान्तरकरण अपील के जरिये तय नहीं हो सकता है। नामान्तरकरण एक समरी प्रोसेडिंग है, जिसमें किसी व्यक्ति के हक अधिकार तय नहीं होते। जैर आराजी में अपीलाण्ट के हक अधिकार खातेदारी घोषणा से ही तय किये जा सकते है न कि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाधीन आदेश के द्वारा। सम्पत्ति के मालिकाना हक, हिस्सेदारी व बंटवाडे जैसे विवादों को तय करने का प्राधिकार सिविल न्यायालय को होता है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकॉर्ड) रूल्स 1957 के नियम 119 से 141 में नामान्तरकरण दायर किए जाने के प्रावधान है, जिसमें यह प्रावधित किया गया है कि "नामान्तरकरण केवल रेकर्ड के अद्यतन के लिये है, नामान्तरकरण के जरिए हक अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता हैं।" माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामान्तरकरण स्वामित्व या हक का निर्णायक प्रमाण नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 2013 SC 456 Surendra Singh vs State of U.P. के अनुसार Mutation entry in revenue records is not conclusive proof of ownership of agricultural land. The Rightful method to determine ownership is by filling a suit in civil court. इसी तरह AIR 1997 SC 2719 Balwant Singh vs Daulat Singh के अनुसार Mutation of name in revenue record does not create or extinguish title, nor has it any presumptive value on title. जहां तक किसी व्यक्ति के खातेदारी हक, हकूकों का प्रश्न है, तो विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि नामान्तरकरण के जरिए अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अधिकारों के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के जरिए ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है, जो वाद में पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर कायम की गई तनकीयात एवं उन पर संग्रहित साक्ष्यों के पश्चात तनकीयात विनिश्चय के आधार पर होने वाले निर्णय पर संभव है। इन समस्त तथ्यों एवं न्यायिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर अपील में बल नहीं पाया जाता है।

लिहाजा हमारे द्वारा किये गये उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली